फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल
श्री लादु पिता सवाईराम कुम्हार निवासी लसाड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरहा
वनाम
श्री वक्षु पिता हजारी गुर्जर निवासी लसाड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरहा

मुकदमा नम्बर 95 सन 2018

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2018	प्रकरण प्रस्तुत पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील वादी की बहस सुनी गई कि ग्राम लसाड़िया पटवार हलका अमरगढ़ तहसील माण्डल के आराजी नं0 413 रकवा 0.02 बीघा, 414 रकबा 0.01 बीघा तथा 419 रकवा 0.02 बीघा कुल किता 3 रकवा 0.05 बीघा खातेदारी हक से प्रार्थीगणों के नाम दर्ज है आराजी संख्या 413 में कुएँ पर मोटर लगी हुई जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे है विपक्षीगणों प्रार्थी की भूमि में जबरन रास्ता बनाने पर आमादा है। अतः विपक्षीगणों को प्रार्थीगणों द्वारा आराजी संख्या 413 में कुँए पर लगी मोटर के उपयोग उपभोग में दखल नहीं करने तथा आराजी संख्या 414 में रास्ता कायम नहीं करने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करे। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील वादीगणों की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन वादीगणों के पक्ष का है। यदि वादीगणों की आराजी में जबरन रास्ता कायम किया जाता है तथा कुएँ पर लगी मोटर का उपभोग नहीं करने दिया जाता है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम लसाड़िया पटवार हलका अमरगढ़ तहसील माण्डल के आराजी नं0 413 में कुँए पर लगी मोटर के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा आराजी संख्या 414 में रास्ता कायम नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति रखने हेतु विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तारीख 25.05.2018 तक जारी की जाती है। हुकम इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 25.05.2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	
25.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अमरगढ़ मे पेश हुई, मूलवाद सं. 19/18 मे निर्णय हो जाने से प्रार्थना पत्र मे कार्यवाही ड्रोप की जाती है। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	